बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांकः 29/10/26.

संख्या–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–19859.../ कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के तहत भी कृषि उत्पादन आयुक्त के रूप में नामित रहेंगे।

2. कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र तथा कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग के पद पर पदस्थापन नहीं होने के कारण अन्य प्राधिकार/पदाधिकारी में हस्तांतरित दायित्व/शक्तियां पुनः कृषि उत्पादन आयुक्त में निहित होंगी एवं एतद् संबंधी अधिसूचना/आदेश संबंधित विभागों द्वारा निर्गत किए जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29/10/26

(संजय कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–1 / पी0–1001 / 2026–सा.प्र.–19859/**पटना–15, दिनांकः** 29/10/26

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा–आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–03, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–3, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सभी विभाग/संबंधित सभी पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार,पटना/भू–संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना /मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 एवं 06 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/10/26

सरकार के विशेष सचिव।